कार्यालय, मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।

पत्रांक– 2591 /11–सी– FP/UP/Approach/154252//2022 , लखनऊ, दिनांकः फरवरी 13 ,2023

सेवा में,

वन संरक्षक,
मेरठ वृत्त, मेरठ।

विषयः– जनपद बुलन्दशहर में दिल्ली–कानपुर मार्ग किमी0 54 (चैनेज 53.997) की दांयी पटरी के किनारे खसरा सं0–1440, ग्राम सिकन्द्राबाद देहात, तहसील सिकन्दराबाद में रिलायन्स बी0पी0 मोबिलिटी लिमिटेड के रिटेल आउटलेट के सम्पर्क मार्ग के निर्माण हेतु 0.0786832 हे0 संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बिना वृक्ष पातन की अनुमति के सम्बन्ध में। प्रस्ताव संख्या– **FP/UP/Approach/154252//2022**

सन्दर्भः– आपका पत्रांक–3080/26–11, दिनांक 01.02.2023

महोदय,

उपरोक्त संदर्भित पत्र द्वारा प्राप्त विषयगत प्रस्ताव का परीक्षण किया गया। परीक्षणोपरान्त प्रस्ताव में निम्नलिखित कमियॉ/अभिलेखों का आभाव पाया गयाः–

1– प्रस्ताव के साथ क्षतिपूरक वृक्षारोपण के अन्तर्गत 100 वृक्षों का वृक्षारोपण एवं 10 वर्षो का अनुरक्षण सहित वृक्षारोपण का प्राक्कलन संलग्न है, जबकि भारत सरकार के पत्र दिनांक 25.04.2022 द्वारा निर्देश दिये गये हैं कि एक हे0 से कम वनभूमि प्रभावित वाले प्रकरणों में क्षतिपूरक वृक्षारोपण का प्रभावित क्षेत्रफल का प्रति हे0 1000 की दर से एवं दुगने वृक्षों का प्राक्कलन संलग्न करें। अतः भारत सरकार के निर्देशों के कम में प्रभावित क्षेत्रफल के अनुसार 0.0786832 X 2 अर्थात 157 वृक्षों का क्षतिपूरक वृक्षारोपण का प्राक्कलन प्रस्ताव के साथ संलग्न कर ऑनलाईन भाग–2 में धनराशि फीड कर अपलोड करें।

2– क्षतिपूरक वनीकरण हेतु चयनित स्थल का उपयुक्तता प्रमाण पत्र संशोधित प्राक्लन के अनुसार संलग्न कर ऑनलाईन भाग–2 में अपलोड करें।

3– प्रस्ताव के साथ प्रस्तावित स्थल की खतौनी संलग्न नहीं है।

4– पर्यावरण प्रदूशण नियंत्रण बोर्ड का अनापत्ति प्रमाण–पत्र की वैधता दिनांक 23.12.2021 को समाप्त हो चुकी है। अतः बढ़ी हुई वैधता की पर्यावरण प्रदूशण नियंत्रण बोर्ड का अनापत्ति प्रमाण–पत्र संलग्न करें।

5– प्रस्ताव में गजट नोटिफिकेशन संलग्न है किन्तु मार्ग चिन्हित नहीं किया गया है। अतः गजट नोटिफिकेशन पर मार्ग चिन्हित करें।

6– ऑनलाईन भाग–2 के कमांक सं0–13 (iii) (iv) एवं (v) में कमशः क्षतिपूरक वृक्षारोपण का जियों रिफ्रेन्सड डिजिटल मैप, टोपोशीट एवं भूमि उपयुक्तता प्रमाण पत्र अपलोड़ नहीं है।

7– वन संरक्षक की संस्तुति भाग–3 प्रस्ताव की तीनों फाईलों के साथ संलग्न करें।

8– प्रस्ताव के साथ पेनड्राईव संलग्न हैं। अतः पुनः उपरोक्तानुसार प्रमाण पत्र/वचनबद्वता प्रमाण पत्र प्रस्ताव के साथ संलग्न कर विषयसूची सहित प्रथम पृष्ठ से अंतिम पृष्ठ तक एक ही फोल्डर में PDF फाईल अपलोड कर तीनों प्रस्ताव के साथ पेन ड्राईव संलग्न करें।

उपरोक्त इंगित कमियों का निराकरण कर, सम्बन्धित अभिलेखों को प्रस्ताव में संलग्न करते हुए संशोधित प्रस्ताव की 03 प्रतियॉ तत्काल इस कार्यालय को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करें। प्रस्ताव की 03 मूल प्रतियॉ इस कार्यालय से अपने किसी प्रतिनिधि के माध्यम से प्राप्त करना सुनिश्चित करें।

भवदीय,

(अनुपम गुप्ता)
मुख्य वनसरंक्षक/नोडलअधिकारी,
उ0प्र0, लखनऊ।

संख्या–2591/11–सी– **FP/UP/Approach/154252//2022** , दिनांकित।

प्रतिलिपिः–निम्नलिखित अधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– प्रभागीय निदेशक, सा0वा0 प्रभाग, बुलन्दशहर।

2– डिप्टी जनरल मैनेजर, रिलायन्स मोबिलिटी लिमिटेड।

(अनुपम गुप्ता)
मुख्य वनसरंक्षक/नोडलअधिकारी,
उ0प्र0, लखनऊ।